भारत गणराज्य INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	कृषि
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	जनपद का विवरण	: मुनि रजवा संख्या–77
	[illegible]	
5.	मापन की इकाई	लिमेंटर
6.	[illegible]	: 0.5448 [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 50 791
13 02 200

-2-

7.	[illegible]	: [illegible]
8.	[illegible]	: [illegible]
9.	[illegible]	: [illegible]
10.	[illegible]	: [illegible]
11.	[illegible]	: [illegible]
12.	[illegible]	: [illegible]

[illegible]

Collector [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 3 -

नीलाम

अदालत सं०-177

मुकदमा : अदालत संख्या-177

नालिश : अदालत संख्या-176

जनपद : [illegible] 176

दर्शित : सीमा पार लोहूं कलांदा

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–01	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण श्रीमती पुष्पा द्विवेदी पत्नी स्व० [illegible] द्विवेदी, निवासिनी–254, बजरंगी मोहल्ला, अलीगढ़, उ०प्र०।	क्रेता का विवरण [illegible] द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र पाल सिंह, [illegible] निवासी [illegible], [illegible] जनपद [illegible]।

भारतीय गैर न्यायिक

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

विक्रय विलेख

[illegible] सिंह [illegible] श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] निवासी [illegible], [illegible], [illegible] आज दिनांक [illegible] इस दस्तावेज [illegible] अश्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि विक्रेता भूमि अवस्थित खसरा संख्या 171, रकबा 2.232 में से रकबा 0.600 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम पंचायत कक्का, पटवारी न. तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, का मालिक, काबिज व दखलीकार है तथा उपरोक्त सम्पत्ति वर्तमान जाता खतौनी तथा खेसरा-नक्शा के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता का नाम ही अभिलेख खातेदार अभिलेखों में दर्ज चला है, विक्रेता अपना समूचा हिस्सा अलग कर मेरे हाथ में बिना किसी और पंचायती या स्टाम्प के, सदा को हेतु विक्रेता विक्रेता द्वारा विक्रय कर दी है मौजूदा उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की मालिक, काबिज व दखील है तथा वर्तमान उपयोग में

Sub-Registrar

भारतीय गैर न्यायिक

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 201795

30.7.09

उक्त भूमि कृषि भूमि के प्रति शिवना यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि उसकी प्रत्यक्ष या भावी हो कुल्ल एवं बंधक न होकर है तथा शिवना ने उक्त इस विक्रय पत्र पूर्व नकद, चेक, ड्राफ्ट या अनुसूचित इत्यादि नहीं लिया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या अन्यत्र कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का कारण विक्रय नहीं है, न ही कुर्क कुर्की है। जिसकी जानकारी उक्त भूमि में किसी प्रकार कोई का रास्ता, हक या चार इत्यादि नहीं है, उक्त शिवना ने उक्त विक्रय अनुसार कटान का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त महकमे से कटान का रु. 10,41,624/- (रुपया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 3 -

[illegible] हजार रु० की पच्चीस गुना के प्रतिफल में [illegible] द्वारा विक्रेता को इस विक्रय के अन्तर्गत [illegible] अनुसूची में वर्णित भूमि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं विक्रय राशि का विक्रेता द्वारा [illegible] है। तदनुसार अब विक्रेता अपने क्रेता के लाभ अवलोकन वर्णित भूमि, विक्रय विलेख द्वारा विक्रय विलेख के शर्त के अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को सदैव के लिए दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि पर कब्जा क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया है। अब मेरा आपका या विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

Rs. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

-2-

[illegible] लाभ [illegible] के [illegible] पूर्णतया व [illegible] के लिए [illegible] [illegible] किया है। अतः [illegible] [illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

रु. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible]

(1)

यह कि [illegible] ग्राम [illegible], [illegible] [illegible] के [illegible] ग्राम [illegible] है, जिसका निर्धारित क्षेत्रफल रु. [illegible]/- प्रति [illegible] के हिसाब से विक्रीत भूमि 2.544 [illegible] की [illegible] रु. 1,06,422/- [illegible] है, भूमि [illegible] भूमि की [illegible] के अधीन है [illegible] निर्धारित [illegible] पर है [illegible]/- [illegible] प्राप्त किया जा रहा है। यह कि [illegible] भूमि कृषि के [illegible] के लिए [illegible] की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, [illegible] व तिराहा आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के [illegible] में कोई निर्माण नहीं

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹ 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 OCT 2011

है विक्रेता भूमि किसी तिथि तक, रजिस्टर्ड व अरजिस्टर्ड मार्ग पर लिख चुकी है। विक्रीत भूमि तुलानपुर जिले की जनता एवं विक्रेताओं के अनेक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का सम्पूर्ण मूल्य क्रेता द्वारा प्राप्त किया गया है। विक्रेता की ओर से प्रस्तुत विक्रय विलेख तहसीलदार मुरादाबाद की फीस पर प्रस्तुत हुआ। उक्त तहसीलदार मुरादाबाद दिनांक 27.10.2000 को पारित आदेश के, जिला राजस्व अभिलेख में पृष्ठ संख्या-[illegible], क्रमांक 6 पर सत्यापित प्रतिलिपि [illegible] में संलग्न है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 11 -

उक्त वि० अवधि प्रतीत किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग से परिवृत न हों, उनके विधिक प्रतिनिधियों व अधिकारियों को सम्मिलित है।

विक्रेता ने विक्रय विलेख विक्रेता के तरीके से क्रेता के पक्ष में विक्रय किया जाकि क्रेता का और उसके उत्तराधिकारी पक्ष रह सकें।

परिशिष्ट : विक्रय विलेख सम्पत्ति का विवरण

भूमि आराजी संख्या 127, रकबा 0.272 है० में से रकबा 0.040 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-[illegible] जनपद, [illegible] व तहसील-[illegible], जिला [illegible]।

[illegible]

परिशिष्ट : मुआवजा विवरण

मुआ. विभा. मूल्य रु. 40,41,[illegible]/- लिखित डिक्रीदार द्वारा इजरायत हवाल ए. सी. पीसीस जब्ती आदेश पत्र संख्या- [illegible] दिनांक [illegible].10.2010 पीठासीन अधि., [illegible] न्यायालय [illegible] में प्रेषित करने तथा वसूली हेतु प्रेषित जीवित मानती है।

नोट: मुआ. संख्या-14 में सेल कीमत व डिक्री आदेश देय दी लिखी गयी है।

स्थान:
दिनांक : [illegible].10.2010

गवाह:

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

क्रेता
[illegible] AARGADDIGO

आदेश:

[illegible]
सिविल जज, [illegible]

मदद:

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

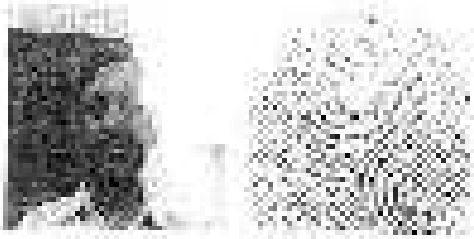

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु
विलेख चिन्हक

[illegible]

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिह्न :–

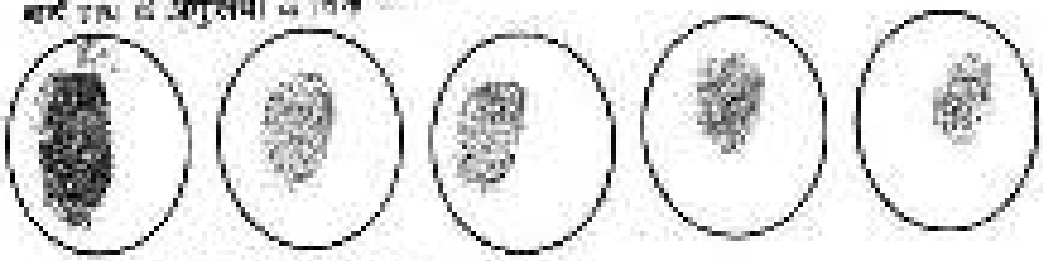

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :–

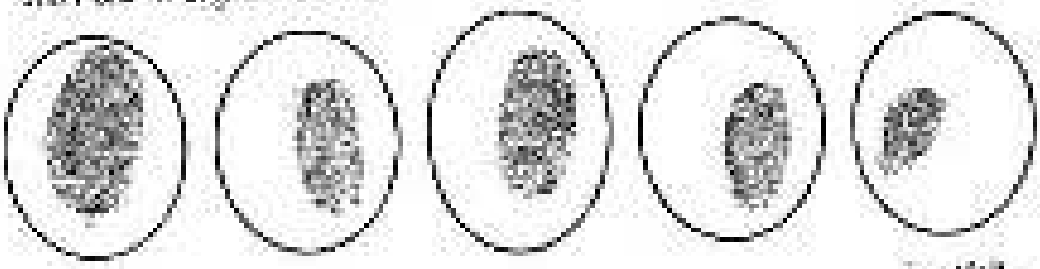

[illegible]

[illegible]

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिह्न :–

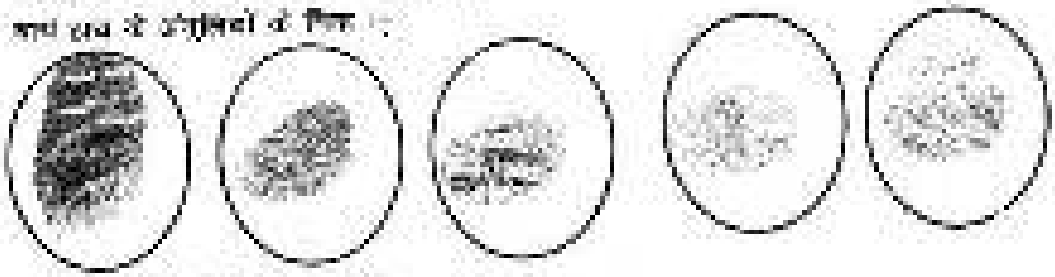

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :–

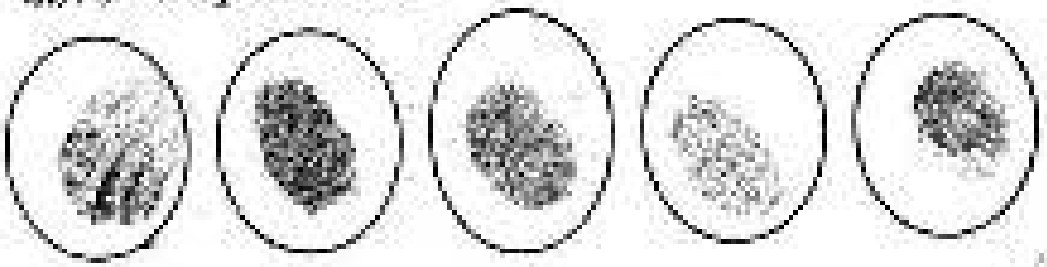

[illegible]

[illegible] 23/10/2019 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 2019

[illegible] 325 [illegible] 351 [illegible] 6152

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]